बिहार सरकार
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

पत्रांक - 592 / पटना, दिनांक - 18-03-2020 /

BRDSग्रा0 वि0 लेखा-22/2019

प्रेषक,

सी0पी0 खण्डूजा,
आयुक्त मनरेगा।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त–सह–
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
कैमूर (भभुआ)।

विषयः– **जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत मॉडल के रूप में किये गए कार्यो के सामग्री एवं अन्य मद् में हुए व्यय के भुगतान हेतु योजना का पूर्ण विवरणी उपलब्ध करने के संबंध में।**

प्रसंग– आपके कार्यालय के पत्रांक–311/अभि0, दिनांक–06.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा कैमूर जिला में की गई मनरेगा की समीक्षात्क बैठक में कार्यक्रम पदाधिकारीयों द्वारा मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण अपेक्षित मानव दिवस सृजन नही होने एवं जल–जीवन–हरियाली के तहत दिये गए लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने के संदर्भ में कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि मनरेगा अतंर्गत मजदूरी भुगतान की राशि जैसे हीं भारत सरकार से प्राप्त हो जाती है भुगतान होना शुरू हो जायेगा। साथ हीं जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत कराये गए कार्यो पर लम्बित भुगतान (श्रम एवं सामग्री) अब संशोधित विभागीय आदेश संख्या–1773, दिनांक– 31.12.2019 के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में की जानी है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय निर्गत आदेश संख्या–1773, दिनांक–31.12. 2019 के आलोक में ही पूर्ण योजनाओं से संबंधित भुगतान आदेश (FTO) प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चत किया जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त

विश्वासभाजन
ह0/
(सी0पी0 खण्डूजा)
आयुक्त मनरेगा।

ज्ञापांक - 592 ब्रदस 18-03-2020

प्रतिलिपिः– निदेशक ई0 गवर्नेस को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित है कि उक्त पत्र को BRDS के साईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

18.03.2020

आयुक्त, मनरेगा।